न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00461

1. धनराज आत्मज पाल्या आयु 46 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामनाथी पत्नी पाल्या आयु 66 वर्ष जाति मीणा निवासी गम्भीरी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मनभर आयु 56 वर्ष बेवा गिरिराज जाति मीणा निवासी ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल मुकाम ऊम काबरा तहसील व जिला टोंक ।
2. हरनारायण आयु 61 वर्ष आत्मज किशना जाति मीणा निवासी ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. खानजी आयु 46 वर्ष आत्मज धनपाल जाति मीणा निवासी ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् जिलाधीश बून्दी ।
6. बाबूडी पुत्री पाल्या पत्नी मुरारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम दूबी (बनास) तहसील सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 06 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम गम्भीरी तहसील नैनवा में वादीगण के सम्मिलित खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 528 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 528/602 रकबा

07 बिस्वा गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 528/603 रकबा 07 बिस्वा गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 528/603 रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है । वादीगण की उक्त भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 214 रास्ता में होकर तथा खसरा नम्बर 215 के बीच में होकर रास्ता करीब 12 फीट चौंडा है । वादीगण को इस रास्ते का सुखाधिकार है । वादीगण इस रास्ते से पिछले 70 वर्षों से अपने कृषि यंत्र ट्रेक्टर, हल, बैलगाडी आदि लाते लेजाते रहे हैं । प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी खसरा नम्बर 215 है तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ने बाड लगाकर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादीगण के खेत पर जाने का एक मात्र रास्ता यही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । इसलिए वादीगण का उक्त रास्ते का 30 फिट चौडा कराना चाहते हैं ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का निर्णय पारित किया जावे कि परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये लाल स्याही से विवादित रास्ते का 30 फिट चौडा किया जावे व राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादीगण ने पूर्व वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि पर जाने के सम्बन्ध में रास्ता खसरा नम्बर 219 एवं 194 के बीच में होकर बताया था जबकि इस वाद में खसरा नम्बर 214 व 215 में होकर रास्ता होना अंकित किया है । उक्त पूर्व वाद में जिसकी वाद संख्या 67/2013 है में किये गये अभिवचन व इस वाद में अंकित अभिवचन परस्पर विरोधाभासी हैं इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है । पूर्व में वादीगण ने प्रतिवाद्गीगण के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा दिया था जिसके आधार पर पूर्व वाद उसी सीमा तक खारिज फरमा दिया गया था । उक्त वाद का निर्णय इस वाद पर पूर्व न्याय के सिद्धान्त के रूप में लागू होता है और धारा 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादीगण को यह वाद लाने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है । इसलिए वादीगण का यह वाद चलने योग्य नहीं होकर प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2019 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी का स्वीकार कर वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.10.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी क्रम 1 व 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादपत्र में अंकित वादीगण के शामलाती खाते की भूमि खसरा नम्बर 528 में पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 214 में होकर तथा खसरा नम्बर 215 के बीच में होकर है । इस रास्ते के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । वादीगण प्रतिवादीगण को डीएलसी दर से राशि जमा देने के लिए तैयार है । खसरा नम्बर 214 पूर्व से ही गैर मु0 रास्ता दर्ज है

उसके आगे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 215 स्थित है जिसमें से होकर अपीलान्ट अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 528 में पहुंचते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्व वाद संख्या 67/2013 में प्रस्तुत राजीनामा का हवाला दिया है जबकि उस वाद में पक्षकारान और विवादित भूमि दोनों अलग–अलग थीं इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धान्त (रेसजूडीकेटा) लागू नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 251 (ए) के तहत रास्ता चौडा करने एवं रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्ज करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के न्यायालय में पेश किया था । इसमें अप्रार्थीगण ने आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका जवाब भी अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया था फिर भी 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जबकि 07 नियम 11 सीपीसी दावे पर लागू होता है प्रार्थना पत्र पर नहीं । वादीगण के खाते की आराजी पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रतिवादीगण के खाते की आराजी में से होकर निकलता है । इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उनके पास नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा संख्या 67/2013 में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.07.2013 का हावला दिया है जबकि उस प्रकरण में वादी एवं पक्षकार अलग–अलग थे, इस कारण रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । दिनांक 28.09.2019 को पत्रावली बहस आदेश में लम्बित थी इसके उपरान्त तारीख बदलती रही और बिना बहस सुने ही निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा खसरा नम्बर 215 से रास्ता मांगा है । पूर्व में जो राजीनामा का हालवा दिया गया था वह खसरा नम्बर 215 के बाबत् नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । इस प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी के द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था और इस प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया कि वादीगण के पिता एंव पति ने राजीनामा पेश कर तस्दीक किया था जिसके आधार पर पूर्व वाद खारिज किया गया था । इस कारण धारा 11 सीपीसी के तहत वादी के द्वारा पेश यह दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अतः दावा खारिज किया

जावे । इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट वादी के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है । वादी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें कहीं भी पूर्व में किये गये राजीनामे का उल्लेख नहीं है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय दावे में अंकित तथ्यों का ही अवलोकन किया जा सकता है । जवाब में अथवा प्रतिवादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया जा सकता । तद्नुसार प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये जवाब अथवा दस्तावेजात के आधार पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत वादी अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिंक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हेतु नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा